

मध्यप्रदेश शासन
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग


:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 14/6/2011

क्रमांक एफ 3-1/2007/56 : राज्य शासन द्वारा ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के तहत दी जाने वाली नागरिक सुविधाओं तथा शासकीय सेवाओं को प्रदाय करने हेतु संलग्न " परिशिष्ट-अ " में दी गई सेवाओं तथा उनसे संबंधित मूल्यों की दर का निर्धारण किया जाता है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(अनुराग श्रीवास्तव)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
भोपाल, दिनांक 14/6/2011

क्रमांक एफ 3-1/2007/56

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, शासन के समस्त विभाग।
 2. समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश।
 3. आयुक्त, जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश, भोपाल।
 4. समस्त कमिश्नर /कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
 5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम, भोपाल।
 6. प्रबंध संचालक, समस्त निगम/मंडल,
 7. विशेष सहायक, मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
 8. मुख्य परिचालन अधिकारी, एमपी ऑन लाईन लिमिटेड, भोपाल।
 9. अनुभाग अधिकारी, फोल्डर हेतु।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु अग्रेषित।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

ASOM (11)
19K

ANEXXURE 1: List of 39 Services under MP eDistrict Pilot Go Live

सं.क्र.	सेवा का नाम	दर			टीप
		सी.एस.सी. संचालक	जिला ई.गवर्नेन्स सोसायटी	योग	
1	प्रमाण पत्र				
1.1	मूल निवासी	10/- Rs.	10/- Rs.	20/- Rs.	सी.एस.सी. संचालक रु 10/- में से रु 2/- सर्विस सेन्टर एजेन्सी को देय होगा। जिला ईगवर्नेन्स सोसायटी रु 10/- में से रु 2/- मैप-आई.टी. को प्रशासनिक व्यय देय होगा
1.2	जाति	10/- Rs.	10/- Rs.	20/- Rs.	तदेव
1.3	आय	10/- Rs.	10/- Rs.	20/- Rs.	तदेव
1.4	जन्म एवं मृत्यु	10/- Rs.	10/- Rs.	20/- Rs.	तदेव
1.5	विकलांगता	10/- Rs.	0/- Rs.	0/- Rs.	सी.एस.सी. संचालक रु 10/- में से रु 2/- सर्विस सेन्टर एजेन्सी को देय होगा।
		शोधयता			
1.6	रु 3.00 लाख से कम	50/- Rs.	50/- Rs.	100/- Rs.	सी.एस.सी. संचालक रु 50/- में से रु 10/- सर्विस सेन्टर एजेन्सी को देय होगा। जिला ईगवर्नेन्स सोसायटी रु 50/- में से रु 10/- मैप-आई.टी. को प्रशासनिक व्यय देय होगा
	रु 3.00 लाख से अधिक	100/- Rs.	100/- Rs.	200/- Rs.	सी.एस.सी. संचालक रु 100/- में से रु 20/- सर्विस सेन्टर एजेन्सी को देय होगा। जिला ईगवर्नेन्स सोसायटी रु 100/- में से रु 20/- मैप-आई.टी. को प्रशासनिक व्यय देय होगा
2		समाजिक सुरक्षा			
2.1		पेशन			
2.1.1	वृद्धावस्था	10/- Rs.	10/- Rs.	20/- Rs.	सी.एस.सी. संचालक रु 10/- में से रु 2/- सर्विस सेन्टर एजेन्सी को देय होगा। जिला ईगवर्नेन्स सोसायटी रु 10/- में से रु 2/- मैप-आई.टी. को प्रशासनिक व्यय देय होगा
2.1.2	विधवा	10/- Rs.	0/- Rs.	0/- Rs.	सी.एस.सी. संचालक रु 10/- में से रु 2/- सर्विस सेन्टर एजेन्सी को देय होगा।
2.1.3	विकलांगता	10/- Rs.	10/- Rs.	20/- Rs.	सी.एस.सी. संचालक रु 10/- में से रु 2/- सर्विस सेन्टर एजेन्सी को देय होगा। जिला ईगवर्नेन्स सोसायटी रु 10/- में से रु 2/- मैप-आई.टी. को प्रशासनिक व्यय देय होगा
2.2	जन्मश्री बीमा योजना	10/- Rs.	10/- Rs.	20/- Rs.	तदेव
2.2.2	राहत सहायता योजना	10/- Rs.	10/- Rs.	20/- Rs.	तदेव
2.2.3	शहरी विकास अभिकरण	10/- Rs.	10/- Rs.	20/- Rs.	तदेव
2.3	स्वतंत्रता सेनानी मानदेय	10/- Rs.	10/- Rs.	20/- Rs.	तदेव

2.4	अनुसूचित जाति/जन जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति	10/- Rs.	10/- Rs.	20/- Rs.	तदेव
3	राजस्व न्यायालय प्रकरण				
3.1	प्रकरणों को सूचीबद्ध करना (काज लिस्ट) स्थगन एवं अंतिम आदेश,	10/- Rs.	10/- Rs.	20/- Rs.	सी.एस.सी. संचालक रु 10/- में से रु 2/- सविस सेन्टर एजेन्सी को देय होगा। जिला इंगवर्नेन्स सोसायटी रु 10/- में से रु 2/- मैप-आई.टी. को प्रशासनिक व्यय देय होगा। नागरिक के निवास तक पहुंचाने के लिए सी.एस.सी. संचालक को रु 10/- की राशि देय होगी।
4	शासकीय देनदारी एवं वसूली				
4.1	Issue of notices, track default loan processes and recovery of government dues	20/- Rs.	0/- Rs.	0/- Rs.	सी.एस.सी. संचालक रु 20/- में से रु 4/- सविस सेन्टर एजेन्सी को देय होगा।
4.2	भूमि व्यपवर्तन कर की वसूली	10/- Rs.	10/- Rs.	20/- Rs.	सी.एस.सी. संचालक रु 10/- में से रु 2/- सविस सेन्टर एजेन्सी को देय होगा। जिला इंगवर्नेन्स सोसायटी रु 10/- में से रु 2/- मैप-आई.टी. को प्रशासनिक व्यय देय होगा
4.3	नजूल भूमि पर देय लीज, प्रबयाजी एवं भू-भाटक की वसूली	10/- Rs.	10/- Rs.	20/- Rs.	सी.एस.सी. संचालक रु 10/- में से रु 2/- सविस सेन्टर एजेन्सी को देय होगा। जिला इंगवर्नेन्स सोसायटी रु 10/- में से रु 2/- मैप-आई.टी. को प्रशासनिक व्यय देय होगा
4.4	लीज का नवीनीकरण	10/- Rs.	10/- Rs.	20/- Rs.	सी.एस.सी. संचालक रु 10/- में से रु 2/- सविस सेन्टर एजेन्सी को देय होगा। जिला इंगवर्नेन्स सोसायटी रु 10/- में से रु 2/- मैप-आई.टी. को प्रशासनिक व्यय देय होगा
5	सार्वजनिक वितरण प्रणाली				
5.1	नये राशन कार्ड जारी करना/राशन कार्ड की नकल ए.पी.एल., बी.पी.एल., ए.ए.वाई.	10/- Rs.	10/- Rs.	20/- Rs.	सी.एस.सी. संचालक रु 10/- में से रु 2/- सविस सेन्टर एजेन्सी को देय होगा। जिला इंगवर्नेन्स सोसायटी रु 10/- में से रु 2/- मैप-आई.टी. को प्रशासनिक व्यय देय होगा
5.2	सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित पते में परिवर्तन करना/प्रतिधारक के नाम को जोड़ना/हटाना	10/- Rs.	10/- Rs.	20/- Rs.	सी.एस.सी. संचालक रु 10/- में से रु 2/- सविस सेन्टर एजेन्सी को देय होगा। जिला इंगवर्नेन्स सोसायटी रु 10/- में से रु 2/- मैप-आई.टी. को प्रशासनिक व्यय देय होगा
6	सूचना का अधिकार अधिनियम/शिकायतें				
6.1	विभिन्न विभागों की योजनाओं की जानकारी	10/- Rs.	10/- Rs.	20/- Rs.	सी.एस.सी. संचालक रु 10/- में से रु 2/- सविस सेन्टर एजेन्सी को देय होगा। जिला इंगवर्नेन्स सोसायटी रु 10/- में से रु 2/- मैप-आई.टी. को प्रशासनिक व्यय देय होगा

6.2	शिकायतों का पंजीयन, अनुश्रवण, निराकरण, अपील एवं अपील का निराकरण	10/- Rs.	10/- Rs.	20/- Rs.	(Note: उपरोक्त शुल्क निराकरण तक के लिए लागू होगा)
7 लायसेंस					
शस्त्र लायसेंस					
7.1	12 बोर, अनिर्धारित बोर (कृषि रक्षा)	50/- Rs.	50/- Rs.	100/- Rs.	सी.एस.सी. संचालक रु 50/- में से रु 10/- सर्विस सेंटर एजेन्सी को देय होगा। जिला इंगवर्नेन्स सोसायटी रु 50/- में से रु 10/- मैप-आई.टी. को प्रशासनिक व्यय देय होगा
	12 बोर, अनिर्धारित बोर	100/- Rs.	100/- Rs.	200/- Rs.	सी.एस.सी. संचालक रु 100/- में से रु 20/- सर्विस सेंटर एजेन्सी को देय होगा। जिला इंगवर्नेन्स सोसायटी रु 100/- में से रु 20/- मैप-आई.टी. को प्रशासनिक व्यय देय होगा
	रायफल	100/- Rs.	100/- Rs.	200/- Rs.	तदैव
	पिस्टल/रिवाल्वर	100/- Rs.	100/- Rs.	200/- Rs.	तदैव
शस्त्र लायसेंस का नवीनीकरण एवं नकल जारी करना					
7.1.1	शस्त्र लायसेंस का नवीनीकरण	25/- Rs.	25/- Rs.	50/- Rs.	सी.एस.सी. संचालक रु 25/- में से रु 7/- सर्विस सेंटर एजेन्सी को देय होगा। जिला इंगवर्नेन्स सोसायटी रु 25/- में से रु 7/- मैप-आई.टी. को प्रशासनिक व्यय देय होगा
	नकल जारी करना	50/- Rs.	50/- Rs.	100/- Rs.	सी.एस.सी. संचालक रु 50/- में से रु 10/- सर्विस सेंटर एजेन्सी को देय होगा। जिला इंगवर्नेन्स सोसायटी रु 50/- में से रु 10/- मैप-आई.टी. को प्रशासनिक व्यय देय होगा
शस्त्र लायसेंस से संबंधित अन्य सेवाएँ नाम जोड़ना/विलोपित करना/शस्त्र विक्रय के लिए अनापति जारी करना/शस्त्र					
7.1.2	12 बोर, अनिर्धारित बोर	25/- Rs.	25/- Rs.	50/- Rs.	सी.एस.सी. संचालक रु 25/- में से रु 7/- सर्विस सेंटर एजेन्सी को देय होगा। जिला इंगवर्नेन्स सोसायटी रु 25/- में से रु 7/- मैप-आई.टी. को प्रशासनिक व्यय देय होगा
	रायफल	50/- Rs.	50/- Rs.	100/- Rs.	सी.एस.सी. संचालक रु 50/- में से रु 10/- सर्विस सेंटर एजेन्सी को देय होगा। जिला इंगवर्नेन्स सोसायटी रु 50/- में से रु 10/- मैप-आई.टी. को प्रशासनिक व्यय देय होगा
	पिस्टल/रिवाल्वर	50/- Rs.	50/- Rs.	100/- Rs.	तदैव
7.1.3	लायसेंस समर्पित करना	10/- Rs.	10/- Rs.	20/- Rs.	
7.2 कृषि					
7.2.1	खाद, कीटनाशक, बीज लायसेंस जारी करना/नवीनीकरण/नाम जोड़ना और विलोपित करना	50/- Rs.	50/- Rs.	100/- Rs.	सी.एस.सी. संचालक रु 50/- में से रु 10/- सर्विस सेंटर एजेन्सी को देय होगा। जिला इंगवर्नेन्स सोसायटी रु 50/- में से रु 10/- मैप-आई.टी. को प्रशासनिक व्यय देय होगा

लघु बचत एजेन्सी का लायसेंस					
7.3					
7.3.1	एजेन्सी का लायसेंस जारी करना/नवीनीकरण करना	10/- Rs.	10/- Rs.	20/- Rs.	सी.एस.सी. संचालक रु 10/- में से रु 2/- सर्विस सेन्टर एजेन्सी को देय होगा। जिला ईगवर्नेन्स सोसायटी रु 10/- में से रु 2/- मैप-आई.टी. को प्रशासनिक व्यय देय होगा
7.4	स्टाम्प वेण्डर लायसेंस				
7.4.1	स्टाम्प वेण्डर का लायसेंस जारी करना/नवीनीकरण करना	10/- Rs.	10/- Rs.	20/- Rs.	तदेव
7.5	व्यवसाय				
7.5.1	सिनेमा/वीडियो पार्लर का लायसेंस बनाना एवं नवीनीकरण करना	10/- Rs.	10/- Rs.	20/- Rs.	तदेव
7.6	अनुमतियाँ				
7.6.1	मेला आयोजित करने हेतु अनुमति जारी करना	50/- Rs.	50/- Rs.	100/- Rs.	सी.एस.सी. संचालक रु 50/- में से रु 10/- सर्विस सेन्टर एजेन्सी को देय होगा। जिला ईगवर्नेन्स सोसायटी रु 50/- में से रु 10/- मैप-आई.टी. को प्रशासनिक व्यय देय होगा
7.6.2	लाउड स्पीकर के उपयोग के लिए अनुमति जारी करना	50/- Rs.	50/- Rs.	100/- Rs.	तदेव
7.9	आबकारी				
7.9.1	विदेशी शराब की दुकान खोलने के लिए अनापति प्रमाण पत्र	50/- Rs.	50/- Rs.	100/- Rs.	तदेव
8	अधिलेख				
8.1	बी. 1/खसरे की नकल	10/- Rs.	10/- Rs.	20/- Rs.	सी.एस.सी. संचालक रु 10/- में से रु 2/- सर्विस सेन्टर एजेन्सी को देय होगा। जिला ईगवर्नेन्स सोसायटी रु 10/- में से रु 2/- मैप-आई.टी. को प्रशासनिक व्यय देय होगा
9	विवाह पंजीयन				
9.1	विवाह पंजीयन के लिए आवेदन	10/- Rs.	10/- Rs.	20/- Rs.	तदेव

Handwritten signature and official stamp of the District Collector, Jhansi.